न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—450/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00450)

1. भैरू सिंह पुत्र श्री गैन सिंह, उम्र 69 वर्ष, जाति रावत, निवासी ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गानी पत्नी स्व0 श्री रामा, जाति रावत, निवासी ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
3. उप—पंजीयक अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.2019 राजस्व वाद संख्या 07/2013.

उपस्थितः—
1. श्री, राजेन्द्रसिंह रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02, 03.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः— 25.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 7/2013 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादी की ओर से निवेदन किया गया कि वादी वाद प्रस्तुति की दिनांक 07.01.2013 के बाद न्यायालय आदेशिका की पालना में आज दिवस तक प्रतिवादी को तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलबाना पेश नहीं किए। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरांत भी न्यायालय आदेश प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए। इस हेतु अंतिम अवसर दिया गया कि दिनांक 09.01.2019 को अंतिम अवसर दिए जाने पर भी पालना नहीं की गई। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं कि गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा बावजूद कई अवसर प्राप्त दिए जाने के उपरांत भी पालना नहीं की गई। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उक्त वाद पत्र को चलाए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होता है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत वादी अपने हक व अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है। उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 7/2013 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि उपरोक्त वाद में अपीलांट का हित निहित करता है क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है जिसे अपीलांट ने अप्रार्थी संख्या 1 के पिता से दिनांक 13.11.1996 को ही खरीद किया जिस पर वह खरीद के बाद से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने झूठे तथ्यों के आधार पर दिनांक 10.2.1998 को नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी अपने नाम नामांतरण नहीं करवा सकता क्योंकि वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने जरिए विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पिता से खरीद कर ली तथा खरीद के बाद से ही वह उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परंतु अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत आधारों पर दिनांक 10.02.1998 को नामांतकरण दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। जिसमें निहित हक व हिस्से को अन्य कोई भी अपने नाम नहीं करवा सकता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय बिना आदेश पारित किए वाद को खारिज किया जो कि आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के न्यायिक हितों की अनदेखी कर उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एवं बिना वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर उसके खरीदशुदा हक व अधिकार की बिना घोषणा किए वाद पत्र खारिज किया गया है। जिस पर बिना गौर किए आदेश पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में अपना 1/3 खरीदशुदा हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2013 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि वे प्रस्तुत वाद में फोर्मल पक्षकार हैं व उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का कथन किया।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने विवादित आराजियात बाबत् वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत सन् 2013 में प्रस्तुत किया था । किन्तु वादीगण द्वारा दिनांक 09.9.2019 तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

01 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किए के कारण वादी/अपीलांटस का वाद अदम पालना में दिनांक 09.9.2019 को खारिज किया गया है । वादीगण का यह विधिक कर्त्तव्य था कि उन्हें विचारण न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर तलबी की कार्यवाही पूर्ण करातें।माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेक निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। इसलिये हम न्यायहित में प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर परीक्षण विचारण से करवाना उचित समझते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2019 निरस्त किया जाता है तथा 2000/–रूपये कोस्ट पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर वादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड एडी पेश करने हेतु अवसर देवें एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें। अपीलांटस को भी निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.03.2023 को उपस्थित होकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करावें। अपीलांट उक्त 2000/–रूपये कोस्ट तहसीलदार, अजमेर के समक्ष जमा करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर